F. No. 9-2/2024-एमएसपी-ईएस
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग
न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुभाग
*****

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 1 सितंबर, 2025

सेवा में,

श्री अमित
वार्ड संख्या 5, राहतगढ़,
मध्य प्रदेश-470119

विषय: श्री अमित की आरटीआई पंजीकरण संख्या DOA&C/R/E/25/01387/1 दिनांक 19/08/2025 के सन्दर्भ में प्रेषित जानकारी।

महोदय,

आपके आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या DOA&C/R/E/25/01387/1 दिनांक 19/08/2025 के सन्दर्भ में, खरीफ विपणन मौसम 2025-26 की अधिदेशित कृषि फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से संबन्धित जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाएं/ पत्र संलग्न हैं:

(i) दिनांक 2 जून 2025 को खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए एमएसपी घोषित करने संबंधी अधिसूचना (अनुलग्नक-I)
(ii) दिनांक 2 जून 2025 को खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए एमएसपी से संबन्धित राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया पत्र (अनुलग्नक -II)
(iii) दिनांक 2 जून 2025 को खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लिए एमएसपी से संबन्धित केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों को भेजा गया पत्र (अनुलग्नक-III).

2. यदि आप दिये गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो उत्तर के विरुद्ध प्रथम अपील, उत्तर प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, श्री धनंजय प्रसाद श्रीवास्तव, सलाहकार एवं अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 11, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को की जा सकती है।

भवदीय,
ज्ञानेन्द्र सिंह
01.09.2025
(ज्ञानेंद्र सिंह)
अतिरिक्त सांख्यिकीय सलाहकार
एवं सीपीआईओ

प्रतिलिपि: अवर सचिव, आरटीआई प्रकोष्ठ, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

सं. 6-1/2025-एमएसपी.ईएस
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
*****

अनुलग्नक - I

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 2 जून, 2025

विषय: खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26 के लिए खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य।

सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26 के लिए उचित औसत गुणवत्ता वाली अधिदेशित खरीफ फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का अनुमोदन किया है। खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि करने संबंधी सरकार का निर्णय किसानों को उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूर्ण करता है। खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26 के लिए अधिदेशित खरीफ फसलों के एमएसपी का विवरण निम्नानुसार है:

जिंस (उचित औसत गुणवत्ता)	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ प्रति क्विंटल में)
अनाज		
धान	सामान्य	2369
	ग्रेड 'ए'	2389
ज्वार	हाइब्रिड	3699
	मालदंडी	3749
बाजरा		2775
रागी		4886
मक्का		2400
दलहन		
तूर/अरहर		8000
मूंग		8768
उड़द		7800
तिलहन		
मूंगफली		7263
सूरजमुखी बीज		7721
सोयाबीन	पीला	5328
तिल		9846
रामतिल		9537

ज्ञानेन्द्र सिंह
02.06.2025

जिंस (उचित औसत गुणवत्ता)	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ प्रति क्विंटल में)
वाणिज्यिक		
कपास	मध्यम रेशा (रेशे की लंबाई 24.5 - 25.5 (मिमी) और माइक्रोनेयर मूल्य 4.3 - 5.1)	7710
	लम्बा रेशा (रेशे की लंबाई 29.5 - 30.5 (मिमी) और माइक्रोनेयर मूल्य 3.5 - 4.3)	8110

ज्ञानेन्द्र सिंह
02.06.2025
(ज्ञानेंद्र सिंह)
अतिरिक्त सांख्यिकीय सलाहकार
दूरभाष: 011-23380141

अनुलग्नक -II

सं. 6-1/2025-एमएसपी.ईएस
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग
(एमएसपी ईकाई)
*****

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 2 जून, 2025

विषय: खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26 के लिए खरीफ फसलों हेतु मूल्य नीति - न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण।

भारत सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26 के लिए सभी अधिदेशित खरीफ फसलों (उचित औसत गुणवत्ता) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। विपणन मौसम 2025-26 के लिए अधिदेशित खरीफ फसलों का एमएसपी निम्नानुसार है:

जिंस (उचित औसत गुणवत्ता)	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ प्रति क्विंटल में)
अनाज		
धान	सामान्य	2369
	ग्रेड 'ए'	2389
ज्वार	हाइब्रिड	3699
	मालदंडी	3749
बाजरा		2775
रागी		4886
मक्का		2400
दलहन		
तूर/अरहर		8000
मूंग		8768
उड़द		7800
तिलहन		
मूंगफली		7263
सूरजमुखी बीज		7721
सोयाबीन	पीला	5328
तिल		9846
रामतिल		9537

ज्ञानेन्द्र सिंह
02.06.2025

जिंस (उचित औसत गुणवत्ता)	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ प्रति क्विंटल में)
वाणिज्यिक		
कपास	मध्यम रेशा (रेशे की लंबाई 24.5 - 25.5 (मिमी) और माइक्रोनेयर मूल्य 4.3 - 5.1)	7710
	लम्बा रेशा (रेशे की लंबाई 29.5 - 30.5 (मिमी) और माइक्रोनेयर मूल्य 3.5 - 4.3)	8110

2. चावल की विभिन्न किस्मों के समूह के मूल्य विभिन्न राज्यों से प्राप्त हल्लिंग/मिलिंग अनुपात और प्रसंस्करण एवं आकस्मिक शुल्क के आधार पर धान के एमएसपी के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

3. कपास की अन्य किस्मों के मूल्य वस्त्र मंत्रालय द्वारा सामान्य बाजार मूल्य अंतर और उनके रेशे की लंबाई, माइक्रोनेयर मूल्य और अन्य तकनीकी मापदंडों के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाएंगे।

4. अनाज और मोटे अनाज के मामले में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करना जारी रखेंगी। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से मोटे अनाज की खरीद करेंगी और खरीदी गई संपूर्ण मात्रा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत वितरित करेंगी। सब्सिडी केवल एनएफएसए के तहत जारी मात्रा के लिए ही प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और अन्य नामित केंद्रीय एजेंसियां दलहन और तिलहन की खरीद करना जारी रखेंगी। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास के लिए मूल्य समर्थन संचालन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी होगी। ऐसे परिचालनों में नोडल एजेंसियों को होने वाली हानि, यदि कोई हो, सरकार द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

5. राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे मूल्य समर्थन संचालन उपलब्ध कराने और संबंधित सूचना के व्यापक प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

ज्ञानेन्द्र सिंह
02.06.2025
(ज्ञानेंद्र सिंह)
अतिरिक्त सांख्यिकीय सलाहकार
दूरभाष:011-23380141

सेवा में,

सचिव/ मुख्य सचिव
कृषि विभाग, राज्य /केंद्र शासित प्रदेश सूची के अनुसार|

प्रतिलिपि सूचनार्थ: मुख्य सचिव, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सूची के अनुसार|

सं. 6-1/2025-एमएसपी.ईएस

<u>राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची</u>

1. आंध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. छत्तीसगढ़
6. गोवा
7. गुजरात
8. हरियाणा
9. हिमाचल प्रदेश
10. झारखण्ड
11. कर्नाटक
12. केरल
13. मध्य प्रदेश
14. महाराष्ट्र
15. मणिपुर
16. मेघालय
17. मिजोरम
18. नागालैंड
19. ओडिशा
20. पंजाब
21. राजस्थान
22. सिक्किम
23. तमिलनाडु
24. तेलंगाना
25. त्रिपुरा
26. उत्तराखंड
27. उत्तर प्रदेश
28. पश्चिम बंगाल
29. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (केंद्र शासित प्रदेश)
30. चंडीगढ(केंद्र शासित प्रदेश)
31. दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (केंद्र शासित प्रदेश)
32. दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
33. जम्मू और कश्मीर(केंद्र शासित प्रदेश)
34. लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)
35. लक्षद्वीप (केंद्र शासित प्रदेश)
36. पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश)

ज्ञानेन्द्र सिंह
02.06.2025

******

अनुलग्नक - III

सं. 6-1/2025-एमएसपी.ईएस
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
अर्थ, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग
(एमएसपी ईकाई)
*****

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 2 जून, 2025

विषय: खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26 के लिए खरीफ फसलों हेतु मूल्य नीति - न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण।

भारत सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (केएमएस) 2025-26 के लिए सभी अधिदेशित खरीफ फसलों (उचित औसत गुणवत्ता) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। विपणन मौसम 2025-26 के लिए अधिदेशित खरीफ फसलों का एमएसपी निम्नानुसार है:

जिंस (उचित औसत गुणवत्ता)	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ प्रति क्विंटल में)
अनाज		
धान	सामान्य	2369
	ग्रेड 'ए'	2389
ज्वार	हाइब्रिड	3699
	मालदंडी	3749
बाजरा		2775
रागी		4886
मक्का		2400
दलहन		
तूर/अरहर		8000
मूंग		8768
उड़द		7800
तिलहन		
मूंगफली		7263
सूरजमुखी बीज		7721
सोयाबीन	पीला	5328

जिंस (उचित औसत गुणवत्ता)	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य (₹ प्रति क्विंटल में)
तिल		9846
रामतिल		9537
वाणिज्यिक		
कपास	मध्यम रेशा (रेशे की लंबाई 24.5 - 25.5 (मिमी) और माइक्रोनेयर मूल्य 4.3 - 5.1)	7710
	लम्बा रेशा (रेशे की लंबाई 29.5 - 30.5 (मिमी) और माइक्रोनेयर मूल्य 3.5 - 4.3)	8110

2. चावल की विभिन्न किस्मों के समूह के मूल्य विभिन्न राज्यों से प्राप्त हल्लिंग/मिलिंग अनुपात और प्रसंस्करण एवं आकस्मिक शुल्क के आधार पर धान के एमएसपी के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

3. कपास की अन्य किस्मों के मूल्य वस्त्र मंत्रालय द्वारा सामान्य बाजार मूल्य अंतर और उनके रेशे की लंबाई, माइक्रोनेयर मूल्य और अन्य तकनीकी मापदंडों के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाएंगे।

4. अनाज और मोटे अनाज के मामले में, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करना जारी रखेंगी। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से मोटे अनाज की खरीद करेंगी और खरीदी गई संपूर्ण मात्रा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत वितरित करेंगी। सब्सिडी केवल एनएफएसए के तहत जारी मात्रा के लिए ही प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और अन्य नामित केंद्रीय एजेंसियां दलहन और तिलहन की खरीद करना जारी रखेंगी। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास के लिए मूल्य समर्थन संचालन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी होगी। ऐसे परिचालनों में नोडल एजेंसियों को होने वाली हानि, यदि कोई हो, सरकार द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

5. संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे मूल्य समर्थन संचालन उपलब्ध कराने और संबंधित सूचना के व्यापक प्रसार हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

धनंजय 2/6/2

(डी.पी. श्रीवास्तव)
सलाहकार (एमएसपी)
दूरभाष: 011-23382523

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
7. सीईओ, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली
8. अध्यक्ष, सीएसीपी, कृषि भवन, नई दिल्ली।

9. अपर सचिव (आई एंड पीएस), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. संयुक्त सचिव (नीति), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन,
11. संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, (एपीएमसी मंडियों में एमएसपी प्रदर्शित करने की व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेश देने के अनुरोध सहित)।
12. डीडीजी (विस्तार), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन, पूसा, नई दिल्ली-110012 (किसानों तक एमएसपी का प्रसार करने हेतु कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को निदेश देने के अनुरोध सहित)।

आंतरिक संचलन:

1. डीएएंडएफडब्ल्यू के सभी अपर सचिव ।
2. डीएएंडएफडब्ल्यू के सभी संयुक्त सचिव ।
3. डीएएंडएफडब्ल्यू के सभी सलाहकार ।
4. माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के निजी सचिव ।
5. राज्य मंत्री (एएंडएफडब्ल्यू) के निजी सचिव ।
6. सचिव, डीएएंडएफडब्ल्यू के निजी सचिव ।
7. प्रधान आर्थिक सलाहकार, डीएएंडएफडब्ल्यू के प्रधान निजी सचिव ।
8. वरिष्ठ आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार, डीएएंडएफडब्ल्यू के प्रधान निजी सचिव ।